



2026:AHC:57705

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9482 / 2026

तुषार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जितेंद्र सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश पांडेय द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश पांडेय और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।
3. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- नूरपुर, जिला- बिजनौर के केस अपराध संख्या 324/2025 (धारा 85 और 80(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, परंतु उसे झूठे आरोपों के आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दुर्भाग्यवश आवेदक नपुंसक था और इसलिए विवाह के बाद मृतका अवसाद में थी; आवेदक की नपुंसकता का तथ्य विवेचना के दौरान दर्ज मृतका की बहन के बयान से भी स्पष्ट है, जिसे पेपर बुक के पृष्ठ 53 पर संलग्न किया गया है, और केवल इसी कारण से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।
6. वह आगे तर्क देते हैं कि मृतका की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद, सूचनाकर्ता ने दहेज की मांग के कारण प्रताड़ना के झूठे आरोप लगाकर वर्तमान मामले की एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।
7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 14.10.2025 से जेल में निरुद्ध है, यानी पिछले पांच महीनों से अधिक समय से।
8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के डेढ़ साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और पंद्रह लाख रुपये की मांग के संबंध में प्रताड़ना का आरोप भी है, परंतु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।
9. वे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि विवेचना के दौरान दर्ज मृतका की बहन श्रीमती नीलम देवी के बयान से यह प्रतीत होता है कि मृतका ने उसे सूचित किया था कि आवेदक नपुंसक था।
10. वे आगे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.10.2025 से जेल में निरुद्ध है।
11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के रिकॉर्ड का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के डेढ़ साल के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और पंद्रह लाख रुपये की मांग के संबंध में प्रताड़ना का आरोप भी है, परंतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी, इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

13. इसके अतिरिक्त, विवेचना के दौरान दर्ज मृतका की बहन के बयान पर विचार करते हुए यह परिलक्षित होता है कि मृतका ने उससे शिकायत की थी कि आवेदक नपुंसक था, इसलिए वर्तमान जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को भी इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

14. इस न्यायालय के विचार में, दहेज मृत्यु के मामलों में यदि पति अपनी पत्नी की मृत्यु (विशेष रूप से आत्मघाती मृत्यु) के संबंध में संभावित बचाव के साथ आता है, तो उसकी जमानत सामान्यतः नहीं रोकी जानी चाहिए।

15. इसके अलावा, आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.10.2025 से जेल में निरुद्ध है।

16. इसके अतिरिक्त, कानून सुस्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

17. अतः, ऊपर चर्चित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. आवेदक-तुषार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20 मार्च, 2026

एसकेएम

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।